न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 64/2020

1. सन्तरो पत्नी मोहरसिंह जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।

:– वादीया

ब ना म

1. मनीराम } पुत्रान मामचंद जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।
2. भगवानाराम
3. हनुमानसिंह } पुत्रान रतनलाल जाति जाट निवासीगण कुंजी त0 भादरा।
4. दयाराम
5. सुरेश कुमार
6. सोनादेवी पत्नी रतनलाल जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।
7. गंगादेवी पत्नी रावताराम जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।
8. नागरमल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।
9. नीमा पत्नी राजेन्द्र प्रसाद पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा हाल ढीलकी जाटान त0 नोहर।
10. संतोष पत्नी रतनलाल पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी कुंजी हाल जोगीवाला त0 भादरा।
11. जैता पत्नी पवन पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी कुंजी हाल जोगीवाला त0 भादरा।
12. गायत्री देवी पत्नी लीलूराम जाति जाट निवासी वार्ड न0 19 साहवा त0तारानगर।
13. मनीष पुत्र लीलूराम नाबालिग जरिये वली माता गायत्री देवी जाति जाट निवासी वार्ड न0 19 साहवा त0 तारानगर।
14. माया पुत्री लीलूराम नाबालिग जरिये वली माता गायत्री देवी जाति जाट निवासी वार्ड न0 19 साहवा त0 तारानगर।
15. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा।
16. आर एम जी बी अजीतपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक आरएमजीबी अजीतपुरा।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:54 IST
Reason: SelfAttested

आज यह वाद मुझ सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री धर्मपाल बेनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर दावा वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है

Scanned with CamScanner

तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा में वर्णित भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगीं।

1. सन्तरों पत्नि मोहरसिंह जाति जाट साकि सह खातेदार खसरा सं0 24/1 की 2.860है0 व खसरा सं0 26/1 की 2.500है0 कुल किता 2 रकबा 5.360है0 बारानी कृषि भुमि मुताबिक नक्शा में गुलाबी रंग के अनुसार।
2. गंगादेवी पत्नी रावताराम, नागरमल, नीमा, संतोष, जैता पि0 रावताराम 5/24 हिस्सा, गायत्री पत्नी लिलूराम, मनीष, माया पि0 लिलुराम 1/24 हिस्सा, मनीराम, भगवानाराम पि0 मामचंद 1/2 हिस्सा, हनुमानसिंह, दयाराम, सुरेश कुमार पि0 रतनलाल, सोना देवी पत्नी रतनलाल 1/4 हिस्सा कोम जाट सा0 देह खातेदार कृषि भुमि मुताबिक नक्शा में हरा रंग के अनुसार। ।

चूंकि : सन्तरो पत्नी मोहरसिंह का हिस्सा आर0एम0जी0बी0 बैंक घेऊ के रहन है उक्त कृषि भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। व हनुमानसिंह, दयाराम, सुरेश कुमार, सोना देवी, भगवानाराम का हिस्सा एसबीआई शाखा बस स्टैण्ड भादरा के रहन है। इसलिए रहन भूमि यथावत् रखा जाकर खाता व लगान अलग अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्तानुसार दर्ज की जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (शिविर कैम्प)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 64/2020

1. सन्तरो पत्नी मोहरसिंह जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।

:- **वादीया**

ब ना म

1. मनीराम } पुत्रान मामचंद जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।
2. भगवानाराम
3. हनुमानसिंह } पुत्रान रतनलाल जाति जाट निवासीगण कुंजी त0 भादरा।
4. दयाराम
5. सुरेश कुमार
6. सोनादेवी पत्नी रतनलाल जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।
7. गंगादेवी पत्नी रावताराम जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।
8. नागरमल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा।
9. नीमा पत्नी राजेन्द्र प्रसाद पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी कुंजी त0 भादरा हाल ढीलकी जाटान त0 नोहर।
10. संतोष पत्नी रतनलाल पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी कुंजी हाल जोगीवाला त0 भादरा।
11. जैता पत्नी पवन पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी कुंजी हाल जोगीवाला त0 भादरा।
12. गायत्री देवी पत्नी लीलूराम जाति जाट निवासी वार्ड न0 19 साहवा त0तारानगर
13. मनीष पुत्र लीलूराम नाबालिग जरिये वली माता गायत्री देवी जाति जाट निवासी वार्ड न0 19 साहवा त0 तारानगर।
14. माया पुत्री लीलूराम नाबालिग जरिये वली माता गायत्री देवी जाति जाट निवासी वार्ड न0 19 साहवा त0 तारानगर।
15. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा।
16. आर एम जी बी अजीतपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक आरएमजीबी अजीतपुरा।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:- **प्रतिवादीगण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:54 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत :- खाता तकसीम

अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल - **वादी**

निर्णय **दिनांक :** 08-01-2021

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कुंजी के खाता सं 124/116 के खसरा सं 24 की 6.3110है0 खसरा सं 26 की 4.8560है0 खसरा सं 202 की 7.3730है0 खसरा सं 211 की 2.6050है0 कुल 21.1450है0 एवं रोही मोजा नुंवा के खाता सं0 223/198 के खसरा सं0 400 की 5.6530है0 6530है0 जिसमें दिगर प्रतिवादीगण के साथ वादिया के नाम 1/5 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण वाद भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से व कब्जे के अनुसार काश्त करते आ रहे है। लेकिन वाद भूमि का खाता संयुक्त होने के कारण वाद भूमि के कब्जा काश्त, सींव डोल व अन्य लगान इत्यादि की बाबत अकसर तनाजा होते रहते है। जिसे रफा करने के लिए वादीया वाद भूमि का अन्य प्रतिवादीगण से उसके हिस्से व कब्जा के अनुसार मुताबिक कब्जा काश्तानुसार खाता व लगान अजल अलग करवाने का अधिकारी है।

वादीया के कब्जा काश्त की भूमि में लाखों रूपये लगाकर भूमि को वादीया द्वारा समतल व उपजाऊ बनाया गया है तथा वर्तमान में भी उक्त खसरों में वादीया का ही कब्जा काश्त किया हुआ है। इसी अनुसार वादीया उक्त कृषि भूमि मुताबिक कब्जा काश्त अनुसार अपना खाता तकसीम करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। साधारण सम्मन व रजिस्टर्ड डाक द्वारा तामील करवाई गई व रजिस्टर्ड डाक की रसीदें व डिलवरी रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। बावजूद सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं 1 ता 14 बाद तामिल उपस्थित नहीं आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं 15 व 16 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादी सं0 17 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। साक्ष्य वादी में वादीया सन्तरों पत्नी मोहरसिंह के बयान करवाये गये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। हस्तगत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदार भादरा को प्राथमिक डिक्री जारी कर भिजवाई गई थी अब तहसीलदार राजस्व भादरा से राजस्व मण्डल अजमेर के कमांक 10546 दिनांक 05.10.2020 द्वारा निर्धारित प्रारूप में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर कोई एतराज प्रस्तुत [illegible] के कारण दावा वादीया अन्तिम डिक्री किया जाता है चूंकि वादीया रोही मौजा [illegible] नुंवा के खाता सं0 223/198 के खसरा सं0 400 की 5.6530है0 में 1/5 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है इसलिए रोही मौजा नुआं के [illegible] सं 223/198 के खसरा सं 400 से वादीया का नाम कलमजन किया जाकर सम्पूर्ण कृषि भूमि का विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:54 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कलक्टर
[illegible]ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

रोही कुंजी में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा में वर्णित भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगीं।

1. सन्तरों पत्नि मोहरसिंह जाति जाट सा0 देह खातेदार खसरा सं0 24/1 की 2.860है0 व खसरा सं0 26/1 की 2.500है0 कुल किता 2 रकबा 5.360है0 बारानी कृषि भुमि मुताबिक नक्शा में गुलाबी रंग के अनुसार।
2. गंगादेवी पत्नी रावताराम, नागरमल, नीमा, संतोष, जैता पि0 रावताराम 5/24 हिस्सा, गायत्री पत्नी लिलूराम, मनीष, माया पि0 लिलुराम 1/24 हिस्सा, मनीराम, भगवानाराम पि0 मामचंद 1/2 हिस्सा, हनुमानसिंह, दयाराम, सुरेश कुमार पि0 रतनलाल, सोना देवी पत्नी रतनलाल 1/4 हिस्सा कोम जाट सा0 देह खातेदार कृषि भुमि मुताबिक नक्शा में हरा रंग के अनुसार। ।

चूंकि : सन्तरो पत्नी मोहरसिंह का हिस्सा आर0एम0जी0बी0 बैंक घेऊ के रहन है उक्त कृषि भूमि रहन मुक्त होने. के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। व हनुमानसिंह, दयाराम, सुरेश कुमार, सोना देवी, भगवानाराम का हिस्सा एसबीआई शाखा बस स्टैण्ड भादरा के रहन है। इसलिए रहन भूमि यथावत् रखा जाकर खाता व लगान अलग अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्तानुसार दर्ज की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08-01-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner